UPFZ010004942026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908) ... एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी सं०–47/2026

[CIS Registration No.: 46/2026]

राज प्रताप सिंह आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र उदयराज सिंह निवासी ग्राम मीठेगांव, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2. प्रिया सिंह पुत्री सूर्यनाथ सिंह निवासी ग्राम कीन्हूपुर थाना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता राज प्रताप सिंह की ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, अयोध्या द्वारा परिवाद सं०–2568/2024 राज प्रताप सिंह बनाम प्रिया सिंह में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.01.2026 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/परिवादी के उपरोक्त परिवाद को धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरस्त कर दिया है।

2. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता/परिवादी राज प्रताप सिंह की ओर से अवर न्यायालय में विपक्षी प्रिया सिंह के विरूद्ध परिवादपत्र अंतर्गत धारा 190 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसमें परिवादी ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि विपक्षी प्रिया सिंह उसकी रिश्तेदारी में है एवं परिवादी से उसकी मुलाकात एक वैवाहिक समारोह में हुयी थी, जहाँ दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नम्बर का अदान–प्रदान किया और उनमें फोन से बातें होने लगी। बातों–बातों में विपक्षी ने परिवादी से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे परिवादी ने मना कर दिया और कहा कि विवाह घरवालों की सहमति से होगी। उक्त बातों से क्षुब्ध होकर विपक्षी ने कहा कि परिवादी ने उससे फोन पर जो बातें की है, उसकी रिकार्डिंग विपक्षी के पास है और वह उसे सार्वजनिक कर परिवादी को बदनाम कर देगी, अन्यथा जो वह कहे, परिवादी करे। तब से विपक्षी, परिवादी से बराबर पैसों की माँग करती रही और परिवादी उसकी माँग पूरी करता रहा, जिसका स्क्रीनशाट परिवादपत्र के साथ संलग्न है। आगे परिवादी ने कथन किया है कि कालान्तर में परिवादी को पता चला कि विपक्षी ने सोशल एकाउण्ट के माध्यम से परिवादी की ही तरह कई

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.06 16:28:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लड़कों से ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती रही है। इसी बीच विपक्षी ने परिवादी का सोशल एकाउण्ट हैक कर लिया और उसके आधारकार्ड व फोटो व अन्य जरूरी दस्तावेज जो परिवादी के फोन में थे,उसको निकाल लिया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिनाँक 24.03.2023 को खण्ड विकास अधिकारी मिल्कीपुर के कार्यालय में कर्मचारियों को हमराह कर बिना परिवादी की उपस्थिति व बिना उसके हस्ताक्षर के परिवादी को पति बताकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाता सं०–36128148437 में अनुचित तरीके से भुगतान आहरित कर लिया है। परिवादी एवं विपक्षी के बीच कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा है। परिवादी का बरीक्षा दिनाँक 12.12.2023 को था। चूँकि विपक्षी, परिवादी के रिश्तेदारी में है, उसे जानकारी होते ही उसने परिवादी को धमकी दी कि यदि वह शादी सही से निपटाना चाहता है,तो अपने पिता से पाँच लाख रूपए दिलवा दे, नहीं तो उसकी इज्जत व सम्मान बरबाद कर देगी। विपक्षी काफी शातिर व जालसाज महिला है और उसके कई अन्य लड़को से नाजायज सम्बन्ध रहे हैं। विपक्षी का कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। परिवादी के अनुसार उसने घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या एवं वरिष्ठ उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके उपरान्त उसने विपक्षी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के आशय से विद्वान अवर न्यायालय में उपरोक्त परिवादपत्र प्रस्तुत किया।

3. परिवादपत्र के उपरोक्त कथनों के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को धारा 200 द०प्र०सं० एवं साक्षीगण उदयराज सिंह, आरती सिंह एवं इन्द्र प्रताप को धारा 202 द०प्र०सं० के अंतर्गत अवर न्यायालय में परीक्षित कराया। तदोपरान्त अवर न्यायालय ने आदेश दिनाँक 30.09.2025 पारित करते हुए मामले में धारा 202 (1) द०प्र०सं० के अंतर्गत सम्बन्धित थाने से अन्वेषण आख्या आहूत किया और उक्त आशय की आख्या थाने से प्राप्त होने पर परिवादी के अधिवक्ता को सुनकर आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.01.2026 पारित करते हुए प्रश्नगत परिवाद को धारा 203 द०प्र०सं० के अंतर्गत निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से यह दाण्डिक निगरानी इस निगरानी न्यायालय में योजित है।

4. निगरानीकर्ता ने निगरानी में मुख्यरूप से यह आधार लिया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परीक्षण न करके सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश पारित करके विधिक त्रुटि कारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत परिवाद को इस आधार पर निरस्त किया है कि परिवादपत्र के समर्थन में धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित साक्षीगण उदयराज सिंह, आरती सिंह व इन्द्र प्रताप सिंह हितबद्ध साक्षी हैं और अवर न्यायालय के समक्ष किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। विद्वान अवर न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पूर्णतः असंगत एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादपत्र में उल्लिखित तथ्यों की अनदेखी कर आलोच्य आदेश पारित करने में महान भूल एवं त्रुटि कारित की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्यों पर अविश्वास करके

विधिक त्रुटि की गयी है। आलोच्य आदेश महज अनुमान पर आधारित है और विधिक दृष्टिकोंण से शून्य है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता ने दाण्डिक निगरानी को स्वीकार किए जाने एवं आलोच्य आदेश को निरस्त किए जाने की याचना की है।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्क में मुख्यतः वही कथन किए हैं, जो निगरानी मेमो में आधार के रूप में उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों का परिशीलन किए बगैर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय का यह निष्कर्ष कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने अपने विरूद्ध दर्ज मुकदमे की प्रतिक्रया स्वरूप उसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से परिवादपत्र प्रस्तुत किया है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नगत परिवाद विपक्षी की ओर से दर्ज कराए गए प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त मामले में विद्वान अवर न्यायालय ने संक्षिप्त पुलिस जाँच आख्या भी आहूत किया था, जो अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भी है, किन्तु उक्त जाँच आख्या का कोई वर्णन या उसमें उल्लिखित तथ्यों का कोई सन्दर्भ विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में नहीं लिया है। विद्वान अवर न्यायालय की आलोच्य आदेश में दी गयी अवधारणा गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य से विपक्षी के विरूद्ध संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना स्पष्ट परिलक्षित है, जिसके आधार पर उसे विचारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक था। आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार दाण्डिक निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत विपक्षी सं०–1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विपक्षी सं०–2 के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी का विरोध किया एवं तर्क किया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी सं०–2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि निगरानीकर्ता द्वारा झूठे कथानक के आधार पर केवल मात्र विपक्षी को हैरान व परेशान करने की नीयत से परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे अवर न्यायालय द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के प्रकाश में निरस्त किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य अथवा तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उसके विरूद्ध प्रथमदृष्टया कोई भी मामला बनना पाया जाए। आलोच्य आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दाण्डिक निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8. निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर मात्र यह विचारित करना अपेक्षित है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमतिता, अशुद्धता अथवा विधि

की कोई त्रुटि कारित की गयी है अथवा नहीं। इसी सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि निर्णय **"Amit Kapoor Vs Ramesh Chandra,(2012) 9 ACC 460"** में यह अवधारित किया गया है कि निगरानी का उद्देश्य यह है कि आलोच्य आदेश में यदि कोई कानूनी गलती या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि या अन्य कोई कानूनी दोष आ गया हो, तो उसे निगरानी के द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। निगरानी न्यायालय का कर्तव्य यह भी है कि यदि किसी आदेश को पारित करने में कोई त्रुटि कारित हो गयी हो और वह आदेश ऐसे साक्ष्य पर हुआ है, जो पत्रावली पर है ही नहीं या ऐसे तथ्यों पर पारित हुआ है, जिसमें आवश्यक तथ्यों को छोड़ दिया गया है, तो निगरानी न्यायालय द्वारा ऐसे दोष को प्रदत्त शक्तियों के अधीन दुरूस्त कर सकता है।

9. प्रस्तुत मामले में विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनाँक 12.01.2026 के द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से दाखिल परिवादपत्र को धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरस्त कर दिया है। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में परिवाद को निरस्त किए जाने के सन्दर्भ में निष्कर्ष दिया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी व उसके परिवारीजन के विरूद्ध गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि परिवादी अपने विरूद्ध दर्ज मुकदमे की प्रतिक्रिया स्वरूप व उसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से परिवादपत्र प्रस्तुत किया है।विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादपत्र में उल्लिखित तथ्यों को सकारात्मक साक्ष्य से समर्थित होना नहीं पाया और परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 द०प्र०सं० के आधार पर विपक्षी द्वारा परिवादी के विरूद्ध कोई अपराध कारित किया जाना नहीं पाया। इसके अतिरिक्त विद्वान अवर न्यायालय ने धारा 202 द०प्र०सं० के अंतर्गत परीक्षित साक्षीगण को हितबद्ध साक्षी मानते हुए मामले में किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षित नहीं होना पाया और तदनुसार परिवादपत्र को बलहीन पाते हुए उसे आलोच्य आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया है।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 प्राविधानित करती है कि यदि परिवादी एवं साक्षियों के कथन/साक्ष्य एवं धारा 202 के अधीन जाँच या अन्वेषण के, यदि कोई हो, के परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करते हुए परिवाद को खारिज कर देगा। उक्त प्राविधान का एक पहलू यह भी है कि यदि किसी दाण्डिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति को तलब करना हो, तो फिर उसके लिए पत्रावली पर उसके विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाना चाहिए। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि तलवी के स्तर पर अवर न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विस्तृत आदेश पारित करे। तलवी के स्तर पर साक्ष्यों के गहन समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर मामले का सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया जाएगा तथा परिणामों की सम्भाव्यता व असम्भाव्यता पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यदि प्रार्थनापत्रों के अभिकथनों से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है और उसका समर्थन उपलब्ध साक्ष्यों से होता है, तो अभियुक्त को तलब किए जाने का पर्याप्त आधार है। न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध

साक्ष्यों के आधार पर केवल इस बात की मीमांसा करने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं। यही अवधारणा माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विधि निर्णयों में अवधारित किया है :–

(i) Prabhudutt Tiwari Vs. State of U.P., 2018 (1) RCR (Crl.) 613 (SC),
(ii) Shivjee Singh Vs. Nagendra Tiwari, AIR 2010 SC 2261,
(iii) UP Pollution Control Board Vs Bhupendra Kumar 2009(1) Crimes 216,
(iv) Ram Ujagir Maurya Vs. State of U.P., 2012 (79) ACC 224.

11. उपरोक्त सन्दर्भित विधिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में प्रस्तुत मामले में अवर न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया, जिससे यह दर्शित होता है कि प्रश्नगत परिवादपत्र निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अवर न्यायालय में दिनाँक 01.03.2024 को दाखिल किया गया है और उक्त तिथि पर ही प्रश्नगत परिवाद को पंजीकृत करते हुए परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 द०प्र०सं० हेतु अग्रिम तिथि नियत किया गया है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर विपक्षी प्रिया सिंह की ओर से निगरानीकर्ता/परिवादी व उसके परिवारीजन के विरूद्ध दर्ज कराए गए कथित मुकदमा अपराध सं० 77/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार उपरोक्त प्राथमिकी थाना खण्डासा में दिनाँक 24.03.2024 को पंजीकृत होना परिलक्षित है। इसप्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विपक्षी की ओर से दर्ज कराए गए कथित मुकदमे से पूर्व ही निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा प्रश्नगत परिवाद अवर न्यायालय में दाखिल किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में विद्वार अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश में यह निष्कर्ष कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने अपने विरूद्ध दर्ज मुकदमे की पेशबन्दी में व उसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से परिवाद प्रस्तुत किया है, त्रुटिपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किए बिना उक्त निष्कर्ष अवधारित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य भी दर्शित होता है कि आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व विद्वान अवर न्यायालय ने विधिक प्राविधानों के अधीन मामले में धारा 202 (1) द०प्र०सं० के अंतर्गत सम्बन्धित थाने से अन्वेषण आख्या आहूत किया था। सम्बन्धित थाने की जाँच आख्या दिनाँकित 08.01.2026 अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि मजिस्ट्रेट धारा 202 (1) द०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत जाँच/पुलिस रिपोर्ट को उसी रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट उक्त जाँच/पुलिस रिपोर्ट और परिवादी के बयान व उपलब्ध साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार कर यह निर्धारित कर सकता है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं और मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय मामले में उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्राविधानों के अंतर्गत उसके न्यायिक विवेक पर आधारित होता है, न कि केवल मात्र कथित जाँच/पुलिस रिपोर्ट पर। प्रस्तुत मामले में आलोच्य आदेश के परिशीलन से दर्शित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में धारा 202 (1) द०प्र०सं० के

अंतर्गत आहूत कथित जाँच/पुलिस रिपोर्ट के तथ्यों का कोई अंकन नहीं किया है, न ही उक्त परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष ही अवधारित किया है। उक्त परिस्थितियों में भी प्रथमदृष्टया आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है और ऐसे आदेश को विधिसम्मत आदेश नहीं कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने यांत्रिक ढंग से निष्कर्ष निकालते हुए सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश पारित कर दिया है। आलोच्य आदेश प्रतिपादित विधिक अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों के आलोक में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और तदनुसार मात्र उक्त आधार पर ही आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

12. इसप्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.01.2026 पारित करने में तात्विक अनियमतिता, अशुद्धता एवं अवैधानिकता कारित की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए सरसरीतौर पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। तदनुसार आलोच्य आदेश अपास्त कर दाण्डिक निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी सं०–47/2026 राज प्रताप सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व एक अन्य स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं० 2568/2024 राज प्रताप सिंह बनाम प्रिया सिंह में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.01.2026 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस निर्णय में व्यक्त उपरोक्त अवधारणा के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन कर पुनः विधि सम्मत ढंग से आदेश पारित करना सुनिश्चित करे।

अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब अवर न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए। पक्षकर विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनाँक 20.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनाँकः 06.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

निर्णयादेश आज इस न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 06.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।